विवाद विहीन ग्राम योजना

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा 2 के खण्ड (क) तथा (ग) सहपठित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 4 (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" विरचित करता है।

योजना

1. **संक्षिप्त नाम** : इस योजना का नाम "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" है।

2. परिभाषा

(1) विवाद विहीन ग्राम :– विवाद विहीन ग्राम से अभिप्रेत ऐसे ग्राम से हैं जिसमें उस ग्राम में निवास कर रहे समस्त व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ–बूझ सुझाव–बुझाव व समझौते द्वारा न्यायालय में जाने के पूर्व ही निपटा लिया गया हो और यदि न्यायालय में पहुंच गया हो और विचाराधीन हो ता लोक अदालत के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटा लिया जाये और ऐसे लोगों का कोई विवाद न रहे।

(2) विधिक स्वयं सेवी सेवादल :– विधिक स्वयं सेवी दल से अभिप्रेत चयनित ग्राम के लिए तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा गठित ग्राम स्तरीय विधिक स्वयं सेवी दल से है, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, उत्साही व प्रभावशाली व्यक्ति हो स्वेच्छापूर्वक ग्राम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवादों या अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए अपना योगदान के लिए सहमत व तत्पर हों आर इस प्रक्रिया में तथा विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में समुचित सहयोग दें।

3. उद्देश्य

(1) प्रत्येक तहसील के अंतर्गत चयनित ग्राम में निवास कर रहे व्यक्तियों के विवादों को ग्राम को विवाद विहीन बनाने के लिए आपसी सूझ–बूझ सुझाव–बुझाव व समझौता द्वारा निपटाना व उनकी विधिक समस्याओं का निराकरण कराना और विधिक सहायता प्रदान कराना तथा ऐसे ग्रामों के द्वारा अन्य ग्रामों को विवाद रहित ग्राम बनाने के लिए साक्षरता शिविर द्वारा प्रेरित करना।

(2) समय–समय पर लोगों को साक्षरता शिविरों के माध्यम से उत्साहित व प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित करना और उसमें वहां की ग्राम पंचायत व वहां के स्थानीय शिक्षकों, विधायकों और सांसद (यदि हों) आदि को भी सम्बद्ध करना।

(3) ग्रामवासियों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में आने वाली विधिक प्रक्रिया की जानकारी कराना व विधिक सेवा व विधिक सहायता संबंधी प्रकाशन का समुचित प्रचार–प्रसार कराना और लोगों को अच्छे नागरिक बनने के लिए उनके मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों की जानकारी देकर प्रेरित करना।

(4) शासन द्वारा ग्रामवासियों के लिए लागू की गई जनकल्याणकारी विवादों को निपटाने की योजनाओं का भी शासन की क्रियान्वित योजनाओं से जुड़कर जानकारी दिलाना व उनसे उन्हें लाभान्वित कराने में योग सहयोग देना।

(5) ग्राम विधिक साक्षरता अभियान में योगदान देना।

4. विधिक स्वयंसेवी सेवादल का गठन :

(1) अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति चयनित ग्राम के विधिक स्वयं सेवी सेवादल का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से करेंगे, व इसकी सूची राज्य प्राधिकरण को भेजेंगे।

(2) विधिक स्वयंसेवी सेवादल में साक्षरता कार्यक्रम का स्वयंसेवी कार्यकर्ता गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन रक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्राम के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम सरकार के प्रतिनिधि व जिला विधिक सहायता अधिकारी सदस्य होंगे और इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम के दो प्रभावशाली, प्रतिष्ठित व शिक्षित स्वयंसेवी सम्मिलित होंगे जो स्वेच्छा व निष्ठा से योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने हेतु तत्पर हों।

(3) विधिक स्वयंसेवी सेवादल के स्वयंसेवी सदस्य तथा स्वयंसेवी कार्यकर्ता स्वेच्छा व सेवाभावना से बिना किसी पारिश्रमिक की इच्छा के सेवाभाव से कार्य करेंगे।

5. ग्राम का चयन :

(1) तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी) संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग से "विवाद विहीन ग्राम" घोषित करने के लिए किसी ऐसे ग्राम का चयन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्वीकृति से करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्ति निवास करते हों। ऐसे चयनित ग्राम की घोषणा इस योजना के आशय के लिए कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। कार्यपालक अध्यक्ष अपने भ्रमण के समय ऐसे ग्राम का चयन व घोषणा भी कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्राम का चयन प्रत्येक तहसील से किया जावेगा और ऐसे ग्रामों की चयन संख्या यथास्थिति पर निर्भर करेगी।

6. योजना संबंधी कार्यवाही :

(1) जिला विधिक सहायता अधिकारी चयनित ग्राम के सरपंच एवं सचिव, पटवारी संबंधित ग्राम के थाना प्रभारी के सहयोग से विवादों की सूची तैयार कर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अ. अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सूची के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में अभी नहीं गये हैं उन्हें सेवादल के सहयोग से आपसी सूझबूझ, सुझाव बुझाव व समझौते के माध्यम से निपटवायेगा।

ब. ऐसे विवाद जो न्यायालय में पहुंच गये हैं और विचाराधीन हैं उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं स्वयंसेवी सेवादल के सहयोग से लोक अदालत/न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटाया जायेगा।

7. **नियंत्रण** : विधिक स्वयंसेवी सेवादल, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (न्यायिक अधिकारी) के नियंत्रण तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग में कार्य करेगा।

8. **सूचना** : विधिक स्वयंसेवी सेवादल की यह संतुष्टि हो जाने पर कि चयनित ग्राम में कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवाद समाप्त हो गये हैं व ग्राम विवाद विहीन हो गया है। इस आशय की सूचना तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जावेगी।

9. **घोषणा** : ग्राम के विवाद विहीन हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा संबंधित ग्राम को "विवाद विहीन ग्राम" घोषित किया जा सकेगा और अन्य ग्राम को इस योजना की परिधि में लाया जायेगा।

10. **कठिनाई एवं निवारण** : इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तथा आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे और उनका आदेश/निर्णय अंतिम होगा।

11. **सहयोग** : योजना की सफलता व क्रियान्वयन के लिए पूर्ण नियंत्रण व देखरेख कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगा और उन्हें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा ग्राम सरकार का पूर्ण सहयोग होगा व इस परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत व ग्राम सरकार को आवश्यक निर्देश जारो कर सकेंगे।

इस योजना के क्रियान्वयन में जिला अधिकारियों व तहसील अधिकारियों का पूर्ण योग व सहयोग अपेक्षित होगा और स्वयंसेवी संगठन जैसे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब आदि का सहयोग वांछनीय होगा।

12. **अभिलेख** : जिला विधिक सहायता अधिकारी विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने संबंधी रजिस्टर संधारित कर समस्त कार्यवाही का अभिलेख तहसील विधिक सेवा समिति में सुरक्षित रखेगा।
13. **व्यय** : विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने के संबंध में होने वाले व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक साक्षरता शिविर हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।
14. **सम्मान** : राज्य प्राधिकरण "विवाद विहीन ग्राम" के सरपंच संबंधित पंचायत पदाधिकारी, विधिक स्वयंसेवी सेवादल के सदस्यों को पुरस्कार/प्रमाण–पत्र प्रदाय कर सम्मानित करेगा। तथा ऐसे सभी विवाद विहीन ग्राम की सूची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजी जाकर उन्हें सम्मानित किया जावेगा।

————————